Memorandum of Understanding

ON

INDIA-EGYPT RENEWABLE ENERGY COOPERATION

BETWEEN

The Ministry of New and Renewable Energy, Government of the Republic of India

AND

The Ministry of Electricity and Energy of the Arab Republic of Egypt

The Ministry of New and Renewable Energy of the Republic of India and the Ministry of Electricity and Energy of the Arab Republic of Egypt (hereinafter referred to as "Parties" and individually, as "Party").

Recognizing that development of renewable energy utilization is among the major strategies embodied in respective energy policies;

Intending to establish a successful cooperation between their respective countries in matters related to the development and utilization of renewable energy cognizant of their importance in augmenting the energy needs of their respective countries; and

Considering that further technological enhancement and availability of renewable energies are crucial for the promotion of sustainable development;

Have reached the following understanding:

ARTICLE – 1
Objective

The objective of this Memorandum of Understanding (MoU) is to confirm the commitment of the Parties to collaborate in efforts in the field of renewable energy pursued on the basis of equality and joint benefit as mutually agreed upon by the Parties; taking into account their expertise and their development needs.

Cooperation under this MoU, shall not preclude other bilateral or multilateral collaborative activities in the field of renewable energy in which either of the Parties may take part.

ARTICLE-2
Scope

The scope of the MoU shall include, activities geared toward the promotion of renewable energy to include but not limited to resources and/or technologies of wind and solar energies.

ARTICLE-3
Modalities of Cooperation

Cooperation under this Memorandum of Understanding may take the following modalities:

a) Implementation of joint research or technical projects on subjects of mutual interest;
b) Inviting Indian companies to implement renewable energy projects to achieve Egyptian Electricity Sector target to reach 20% of the generated electricity by the year 2020;
c) Encouraging the private sector to establish joint ventures for local manufacturing of renewable energy equipments;
d) Exchange and training of scientific and technical personnel;
e) Exchange of scientific and technological information and data;
f) Organization of workshop, seminars and working groups;
g) Transfer of equipment, know-how and technology, on non – commercial basis;
h) Other modalities as may be agreed upon by the Parties.

All collaborative activities under the MoU shall be in accordance with the laws and regulations of the respective Parties.

ARTICLE – 4
Joint Working Committee

The Parties shall establish a Joint working Committee composed of members nominated by each Party, with the objectives of:

- Identifying areas of mutual interest and cooperation for development of new and renewable energy technologies, systems, sub-systems, devices, components, etc
- Following up cooperation activities

The Joint Working Committee shall to the extent possible conduct its work through electronic communication, but meet alternately in India and Egypt, whenever considered necessary.

ARTICLE – 5
Expenses

Each party shall bear all the costs of its participants in all programs of cooperation and in the meetings of implementing agencies or working committee contemplated under this MoU.

ARTICLE – 6
Implementing Arrangement

An Implementing Arrangement shall be formulated by both Parties to implement the provisions of Article 3.

ARTICLE – 7
Confidentiality

Information related to this MoU, only those recognized as confidential shall be kept confidential, and the Parties shall under no circumstances disclose this information to any third party without prior written consent of the other Party except when the provisions of law make allowance. This confidentiality provision shall remain in force without time limit.

ARTICLE – 8
Dispute Settlement

Any dispute concerning the interpretation of application of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably by negotiations and mutual consent between the parties.

ARTICLE – 9
Amendments

This MoU may be amended, revised or modified by mutual consent through diplomatic channels by the Parties. The amendments shall be enclosed with the present Memorandum of Understanding and shall form an integral part of it thereof.

ARTICLE – 10
Entry into Force, Duration and Termination

This MoU shall enter into force on the date of signature, and shall remain in force for a period of five years after which it shall be renewed automatically, unless terminated by either Party by giving six (6) months written notice in advance through the diplomatic channels of its intention to terminate it. The termination of this MoU shall not affect the validity and duration of any ongoing programmes and projects under this MoU.

In witness thereof, the undersigned being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

Signed at Cairo on January 20, 2011 in two originals each, in English, Hindi and Arabic Languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English Text shall prevail.

Minister of New and Renewable Energy,
Republic of India

Dr. Farooq Abdullah

Minister of Electricity and Energy,
Arab Republic of Egypt

Dr. Hassan Younes

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत गणराज्य की सरकार

तथा

मिस्र के अरब गणराज्य के विद्युत और ऊर्जा मंत्रालय

के बीच

भारत– मिस्र नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग

पर

समझौता ज्ञापन

मिस्र के अरब गणराज्य का विद्युत और ऊर्जा मंत्रालय तथा भारत गणराज्य का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (जिन्हें इसके पश्चात् 'पक्षों' तथा पृथक रूप से 'पक्ष' के रूप में उल्लिखित किया गया है) ।

इस बात को स्वीकार करते हुए कि अक्षय ऊर्जा के उपयोग का विकास संबंधित ऊर्जा नीतियों में शामिल प्रमुख कार्यनीतियों में से एक है ;

अपने–अपने देशों की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं में वृद्धि लाने में अक्षय ऊर्जा के विकास एवं उपयोग के महत्व को समझते हुए इनसे संबंधित मामलों में अपने संबंधित देशों के बीच सफल सहयोग की स्थापना करने की इच्छा से ; और

यह विचार करते हुए कि आगे होने वाले प्रौद्योगिकीय विकास तथा अक्षय ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता धारणीय विकास के संवर्धन हेतु महत्वपूर्ण हैं ;

निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद –1

उद्देश्य

इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) का उद्देश्य दोनों पक्षों द्वारा अपनी विशेषज्ञता तथा अपनी विकास संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परस्पर रूप से हुई सहमति के अनुसार समानता एवं संयुक्त लाभ के आधार पर अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयासों में सहयोग करने के संबंध में पक्षों की प्रतिबद्धता की संपुष्टि करना है।

समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सहयोग अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अन्य द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय कार्यकलापों, जिनमें दोनों में से कोई एक पक्ष भाग ले सकता है, को प्रतिबाधित नहीं करेगा।

अनुच्छेद –2

विषय क्षेत्र

इस समझौता ज्ञापन के कार्य क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा के संवर्धन हेतु किए जाने वाले कार्यकलाप शामिल होंगे जिसमें पवन तथा सौर ऊर्जा से संबंधित संसाधनों तथा/अथवा प्रौद्योगिकियों को शामिल किया जाएगा परंतु यह कार्यक्षेत्र यहीं तक सीमित नहीं होगा।

अनुच्छेद–3

सहयोग की पद्धतियां

इस समझौता ज्ञापन के तहत निम्नांकित तरीकों से सहयोग किया जाएगा :–

(क) आपसी रूचि के विषयों पर संयुक्त अनुसंधान अथवा तकनीकी परियोजनाओं का कियान्वयन ।

(ख) वर्ष 2020 तक मिश्र के विद्युत क्षेत्र द्वारा उत्पादित बिजली को 20% तक पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय कंपनियों को अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने हेतु आमंत्रित करना ।

(ग) अक्षय ऊर्जा उपस्करों का स्थानीय रूप से निर्माण करने हेतु निजी क्षेत्र को संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित करना।

(घ) वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों का प्रशिक्षण और आदान–प्रदान ।

(ड.) वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सूचना और डाटा का आदान–प्रदान।

(च) कार्यशाला, सेमिनारों और कार्यदलों का आयोजन ।

(छ) गैर–वाणिज्यिक आधार पर उपस्कर, कार्य–प्रणाली और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण।

(ज) अन्य पद्धतियां जिस पर कि पक्षों द्वारा सहमति जताई जाए।

समझौता ज्ञापन के तहत सभी सहयोगात्मक गतिविधियां संबंधित पक्षों के नियमों और विनियमों के अनुरूप होंगी।

अनुच्छेद–4

संयुक्त कार्य समिति

सभी पक्ष निम्नांकित उद्देश्यों के साथ प्रत्येक पक्ष द्वारा निर्दिष्ट सदस्यों वाले संयुक्त कार्य समिति का गठन करेंगे :

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियां, प्रणालियां, उप–प्रणालियां, युक्तियां, घटकों आदि का विकास करने के लिए आपसी रूचि और सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करना।
- सहयोगात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाना ।

संयुक्त कार्य समिति जहां तक संभव हो अपना कार्य इलैक्ट्रोनिकं संचार के माध्यम से करेगा, परन्तु जब भी आवश्यक समझेगा भारत और मिस्र में बारी–बारी से मिलेंगे।

अनुच्छेद–5

खर्च

प्रत्येक पार्टी समझौता ज्ञापन के तहत अपेक्षित सहयोग के सभी कार्यक्रमों और कार्यान्वयन एजेंसियों या कार्यदल समिति की बैठकों में इसके भागीदारों के सभी खर्च उठाएंगी।

अनुच्छेद –6

कार्यान्वयन व्यवस्था

अनुच्छेद 3 के प्रावधानों का कार्यान्वयन करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा एक कार्यान्वयन व्यवस्था तैयार की जाएगी।

अनुच्छेद–7
गोपनीयता

इस समझौता ज्ञापन से संबंधित केवल वैसी जांनकारियां, जिन्हें गोपनीय माना गया है, को गोपनीय रखा जाएगा और पक्षों द्वारा कानून के प्रावधानों द्वारा अनुमति के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में इस जानकारी को दूसरे पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं किया जाएगा। गोपनीयता का यह प्रावधान बिना किसी समय सीमा के लागू रहेगा।

अनुच्छेद –8

विवाद का निपटान

इस समझौता ज्ञापन के व्यावहारिक उपयोग की व्याख्या से संबंधित किसी भी विवाद का निपटान बातचीत और आपसी सहमति द्वारा मैत्रीपूर्ण तरीके से किया जाएगा।

अनुच्छेद –9

संशोधन

इस समझौता ज्ञापन को दोनों पक्षों द्वारा राजनयिक चैनल के माध्यम से संशोधित, सुधारा अथवा परिवर्तित किया जा सकता है। संशोधनों को वर्तमान समझौता ज्ञापन के साथ संलग्न किया जाए और उस समझौता ज्ञापन का एक अनिवार्य हिस्सा होंगे।

अनुच्छेद –10

प्रभावकारिता, अवधि और समाप्ति

यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर होने की तिथि से प्रभावी होगा और पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी होगा, जिसके पश्चात् यह स्वतः पुनः प्रभावी हो जाएगा, जब तक कि इसे समाप्त करने की इच्छा से राजनयिक चैनलों के माध्यम से छः (6) महीने की लिखित पूर्व सूचना देकर किसी भी पक्ष द्वारा इसे समाप्त न किया जाए । इस समझौता ज्ञापन के समाप्त होने से इसके अंतर्गत चल रहे कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं की वैधता और अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

इसके साक्ष्य स्वरूप, इस समझौता ज्ञापन पर अपनी संबंधित सरकारों द्वारा विधिवत् प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर किए गए ।

इस समझौता ज्ञापन पर काहिरा में दिनांक 20 जनवरी, 2011 को अंग्रेजी, हिंदी और अरबी भाषाओं में प्रत्येक दो मूल प्रतियों में हस्ताक्षर किए गए। सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। इसकी व्याख्या में किसी प्रकार की भिन्नता होने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

डा. फारूक अब्दुल्ला
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
भारत गणराज्य

डा. हसन यूनेस
विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री
मिस्र का अरब गणराज्य